



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Second Appeal No. 311/2026
URN: CSA / 474U / 2026

Bhagwan Singh S/o Sh. Kirodilal,

----Appellant

Versus

Rajasthan Government & Ors.

----Respondents

For Appellant(s) : Ms. Mamta, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

08/07/2026

सुना गया तथा पत्रावली तथा विद्वान विचारण न्यायालय व विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक ने वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं होना जाहिर किया लेकिन अपीलार्थी/वादी का उक्त सम्पत्ति पर कब्जा होना जाहिर किया है।

ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण आगामी तारीख पेशी तक अपीलार्थी/वादी को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों की पालना किये बिना वादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल नहीं करें ना ही उक्त सम्पत्ति पर तोड़-फोड़ करें। यह आदेश प्रत्यर्थीगण की तामील के पश्चात प्रभावी होगा तथा आगामी पेशी पर उपस्थित पक्षों को सुनकर नये सिरे से आदेश पारित किया जावेगा।



(2 of 2)

[CSA-311/2026]

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/12